मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्र./6986/MGNREGS-MP/NR-3/16 भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 2016

प्रति,

सचिव,
भारत शासन,
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
ग्रामीण विकास विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली।

विषय :– जन–कल्याणकारी महात्मां गांधी नरेगा योजना में अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दर में वृद्धि कर युक्तिसंगत किये जाने बाबत।

संदर्भ :– 1. इस विभाग का पत्र क्र. 2839/MGNREGS-MP/NR-3/2016 भोपाल दिनांक 18.03.2016

2. अवर सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का पत्र क्रं. J-11011/1/2009-MGNREGA (Pt.) 29 मार्च 2016

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अवलोकन हेतु अनुरोध है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्रं. 02 के द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु अकुशल श्रमिकों के लिये दैनिक मजदूरी दर मध्यप्रदेश हेतु राशि रूपये 167/– प्रति दिवस 01 अप्रैल 2016 से लागू की गई है, जो कि सभी राज्यो में लागू की गयी दैनिक मजदूरी दरों में न्यूनतम है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र जिसकी सीमा से 10 जिले लगे है वहाँ दैनिक मजदूरी दर 192/– लागू है जिससे इन जिलो के श्रमिकों के पलायन की स्थिति निर्मित होती है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत न्यूनतम वेतन दरों के संबंध में श्रम आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश का पत्र क्र. 8278 दिनांक 11.03.16 की छायाप्रति संलग्न है। ग्रामीण परिवारों के भरण–पोषण एवं दैनिक जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु श्रम आयुक्त द्वारा राशि रूपये 5794/– की गणना की गयी है, जिसके आधार पर कृषि नियोजन में न्यूनतम मासिक दर तय की गई है। चूंकि योजना के अंतर्गत सड़क, भवन आदि निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, अतः संवेतनिक साप्ताहिक अवकाश दिये जाने की अनिवार्यता का उल्लेख करते हुए दिनांक 01.04.2016 से 30.09.2016 तक कृषि क्षेत्रों के श्रमिकों को दैनिक मजदूरी दर राशि रूपये 223/– प्रतिदिवस लागू की गई है। श्रमायुक्त मध्यप्रदेश एवं भारत सरकार द्वारा पैरा एक में दर्शित मजदूरी दर में रूपये 56/– का वृहद अंतर है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक लोकप्रिय जनकल्याणकारी योजना है जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों परिवारों की आजीविका जुड़ी है। प्रदेश के श्रम आयुक्त द्वारा पैरा –2 में निर्धारित दर को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अकुशल श्रमिकों को लागू किए जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय **मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की समान्य सभा की चतुर्थ बैठक दिनांक 12.07.2016** में लिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

अतः महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अकुश्रल श्रमिकों हेतु श्रम विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर राशि रूपये 223/– प्रतिदिवस लागू किये जाने का अनुरोध है, जिससे ग्रामीण परिवारों का भरण–पोषण एवं दैनिक न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके।

Rami Rau

(नीलम शमी राव)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग